न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार-I, (RAS)**

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– **398 / 2020** GCMS 2020/00533

प्रार्थी:–

1. बलदेवाराम पुत्र खेताराम
2. गोविंदराम पुत्र खेताराम
3. सेवाराम पुत्र जैसाराम

प्रार्थी सं. 1 ता 3 सभी जाति जाट निवासीयान ग्राम रसाल कुचामन सिटी

अप्रार्थीगण:–

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:– श्री अशोक पुरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर।

राज. पैराकार तहसीलदार कुचामन सिटी।

–:निर्णय :–

दिनांक:– 20/02/2025

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि ग्राम रसाल के गत खसरा सं. 88 रकबा 85 बीघा 18 बिस्वा प्रार्थीगण 1 व 2 के पिता खेताराम एवं प्रार्थी सं. 3 के पिता जैसाराम की सहखातेदारी का अवस्थित रहा। प्रार्थीगण सं. 1 व 2 खेताराम के वारिसान है एवं प्रार्थी सं. 3 जैसाराम के वारिस है। नावां तहसील में द्वितीय भूप्रबंध की कार्यवाही में गत खसरा सं. 88 के नवीन खसरा सं. 345 रकबा 0.01 है. ख.सं. 346 रकबा 0.12 है. ख.सं. 347 रकबा 5.65 है. ख.सं. 348 रकबा 1.14 है. ख.सं. 349 रकबा 0.21 है. ख.सं. 351 रकबा 3.42 है. ख.सं. 352 रकबा 2.62 है. कुल खसरा 8 कुल रकबा 13.91 है. कायम हुये। उपरोक्त भूमि गत खसरा सं. 88 के बीच में उत्तर से दक्षिण कोई रास्ता कभी भी नहीं रहा न ही वर्तमान में कोई रास्ता है। गत ख.सं. 88 के उत्तर व दक्षिण दोनों दिशाओं में पूर्व से पश्चिम गैर.मु.रास्ता अवस्थित है जो आज दिन भी मौके पर व चालू है एवं उत्तर में स्थित रास्ते के ख.सं. 248 एवं दक्षिण में स्थित रास्ते के खसरा सं. 362 है। द्वितीय भूप्रबंध के दौरान भूप्रबंध अधिकारियों ने बिना सक्षम अधिकारी के आदेश एवं बिना [illegible] जांच किये गत खसरा सं. 88 के बीच में से उत्तर से दक्षिण खसरा सं. 349 रकबा 0.21 है. गै.मु. रास्ता कायम कर दिया जबकि न तो द्वितीय भूप्रबंध की कार्यवाही से पूर्व और न ही [illegible] भूप्रबंध के दौरान और न ही वर्तमान में गत खसरा सं. 88 के बीच में उत्तर से दक्षिण कोई रास्ता था न ही है। भूप्रबंध अधिकारियों

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:43:37 IST
Reason: SelfAttested

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

जो किसी भी खातेदार की खातेदारी बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के कम करने या अधिकार करने का कोई अधिकारी नहीं था परंतु द्वितीय भूप्रबंध के दौरान भूप्रबंध अधिकारियों ने प्रार्थीगण की खातेदारी 0.21 है. कम करते हुये खसरा सं. 349 गै.मु. रास्ता दर्ज करते हुये सरकारी खाते में डाल दिया जो एक त्रुटि है जिसे प्रार्थी दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। नवीन ख.सं. 349 जो कि भूप्रबंध अधिकारियों द्वारा रास्ते के रूप में गलती से दर्ज किया गया है मौके पर कभी भी रास्ता नहीं रहा न ही वर्तमान में रास्ता है। प्रार्थीगण के खेत गत खसरा सं. 88 के उत्तर व दक्षिण सींव पर रास्ता है जो आज भी कायम है और मौके पर चालू स्थिति में है इसलिए गत खसरा सं. 88 के बीच में से रास्ता कायम करने की कोई आवश्यकता नहीं थी न ही मौके पर द्वितीय भूप्रबंध के दौरान ऐसा कोई रास्ता मौजुद था न ही आज दिन मौके पर कोई रास्ता मौजुद है। राजस्व रेकर्ड में केवल मात्र द्वितीय भूप्रबंध के दौरान खसरा सं. 349 कागजी तौर पर भूप्रबंध अधिकारियों द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारियों के आदेश के गैर.मु.रास्ता दर्ज किया गया है जिसे प्रार्थी दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। गत खसरा सं. 88 के बीच में से एवं वर्तमान खसरा सं. 347, 348 के पूरब में उत्तर से दक्षिण कोई रास्ता नहीं है परंतु भूप्रबंध अधिकारियों द्वारा राजस्व नक्शे व रेकर्ड में खसरा सं. 349 रकबा 0.21 है. गै.मु. रास्ता गलत अंकित करने से अप्रार्थी प्रार्थीगण को बेदखल करने पर उतारू है यदि राजस्व अधिकारियों द्वारा राजस्व रेकर्ड में की गई गलत तरमीम के आधार पर अप्रार्थी प्रार्थीगण को बेदखल करने में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपारा क्षति होगी जिसकी पूर्ति हेाना असंभव होगा। खसरा सं. 349 रकबा 0.21 है. ख.सं. 88 का अभिन्न अंग है एवं प्रार्थीगण की खातेदारी का है इसलिए प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित है। प्रार्थी ख.सं. 349 रकबा 0.21 है. के विधिवत् खातेदार काश्तकार है तथा खसरा सं. 349 रकबा 0.21 है. की भूमि पर प्रार्थीगण काबिज है तथा काश्त कर रहे हैं। खसरा सं. 349 की भूमि कभी भी रास्ते के रूप में नहीं रही केवल मात्र राजस्व रेकर्ड में बिना मौके की जांच किये ही गलत रूप से खसरा सं. 349 रकबा 0.21 गै.मु. रास्ता दर्ज कर दिया गया है। भूप्रबंध अधिकारियों द्वारा की गई गलती को दुरूस्त किये जाने किसी पक्षकार को किसी प्रकार की क्षति कारित नहीं होती है। राजस्व अधिकारियों द्वारा की गई उक्त त्रुटि जो कि एक मानवीय भूल की श्रेणी में आता है जिसे प्रार्थीगण दुरूस्त करवाने की अधिकारी है।

ग्राम रसाल के ख.सं. 349 रकबा 0.21 है. को द्वितीय भूप्रबंध की कार्यवाही से पूर्व की स्थिति अर्थात् प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावें तथा तमाम रेकर्ड ऑफ राईट्स में खसरा सं. 349 रकबा 0.21 है. गै.मु. रास्ता हटाये जाने एवं उक्त खसरा प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे एवं उक्त आदेश की एक तहरीर अप्रार्थी को भिजवाई जावें कि राजस्व रेकर्ड में माफिक आदेश अमल दरामद करें जाने की इस्तदुआ दी है।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके अनुसार खसरा सं. 345 रकबा 0.01 है. ख.सं. 346 रकबा 0.12 है. ख.सं. 347 रकबा 5.63 है. ख.सं. 348 रकबा 0.14 है. ख.सं. 349 रकबा 0.21

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:43:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (कुचामन सिटी)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

ख.सं. 351 रकबा 3.42 है. ख.सं. 352 रकबा 2.62 है. ख.सं. 1298/347 रकबा 0.37, ख.सं. 1299/347 रकबा 0.76 है., ख.सं. 350 रकबा 0.74 है. कुल रकबा 19.91 हैक्टर कायम हुए हैं जिसमें खसरा सं. 349 रकबा 0.21 है. किस्म गैर.मु. रास्ता राजकीय खाता में दर्ज है तथा प्रतिबंधित श्रेणी का है। राजहित होने के कारण रास्ते के खसरे को यथावत् रखा जाना उचित है।

वकील प्रार्थी व राजपैरोकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व राजपैरोकार ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। ग्राम रसाल के खसरा सं. 349 रकबा 0.21 है. गैर.मु. रास्ते को हटाया जाना व उक्त खसरा प्राथीगण की खातेदारी में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20/2/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार I.RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:43:37 IST
Reason: SelfAttested